

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, वैशाली के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) द्वारा 01 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत श्रमिक के आश्रित को रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन), 2024 के तहत 01 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिक के आश्रित के रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिका री/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रव० सुनील राग, 40, गहेन्द्र राग, अनु० जाति	रांगीता देवी (पत्नी) 9120942150 32	1045 20.12.2025 एवं 1497 26.09.2025	ग्राम जहागीरपुर पटेबा पो०। धाना रासय, प्र० गगवानपुर, जिला-वैशाली 0220013551	3445378 281	CBI CBIN02 83604	50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि गजदूर
2	रव० हरेलाल पासवान, 40, फेंकु पारावान, अनु० जाति	सुशीला देवी (पत्नी) 3012912955 90	1792 09.12.2025 एवं 1340 30.08.2025	ग्राम दिलावरपुर रिखर, पो० रिखर, थाना। प्र० लालगंज, जिला-वैशाली 9016747615	4567105 1000114 9	BOI BKID00 04567	1,00,000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर गजदूरी

कुल राशि :-रू० 1,50,000/-

(एक लाख पचास हजार रूपए मात्र)

- उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
- उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGSके माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
- प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी 736

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-59/2025, पटना, दिनांक :- 18/06/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कालम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGSके माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रू० 1,50,000/- (एक

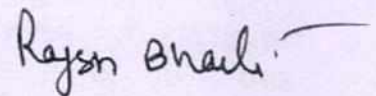
लाख पचास हजार रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटीओ मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


05/06/2026

Signed by Rohit Kumar

Date: 05-06-2026 15:26:11

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक